



राजस्व पुनरीक्षण .....

प्रस्तुति दिनांक : 15.05.2017

न्यायालय : श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर, केम्प इंदौर

R 1009 - PB 217

इबादत अली पिता अब्बास अली सैय्यद,  
मियामन मोहल्ला, खरगोन जिला खरगोन (म.प्र.)

-- अपीलार्थी

विरुद्ध

- (1) अमजद पिता शेरखान मुसलमान  
न्यू काजीपुरा, खरगोन (म.प्र.)
- (2) हिदायत पिता हिफाजत अली,  
मुसलमान, मोहल्ला मियामान, खरगोन  
तहसील खरगोन (म.प्र.)
- (3) हिफाजत अली पिता अब्बास अली,  
मुसलमान, मोहल्ला मियामान, खरगोन  
तहसील खरगोन (म.प्र.)

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर  
श्री .....  
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 15.05.2017  
को प्रस्तुत।

310  
15-05-2017

अधीक्षक  
आयुक्त कार्यालय

-- प्रत्यर्थीगण

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय,

(यह पुनरीक्षण याचिका माननीय तहसीलदार महोदय, तहसील  
गोगावा जिला खरगोन के प्रकरण क्रं. रा.प्र.क्र. 27/अ-6/16-17  
अमजद विरुद्ध हिफाजत अली के प्रोसिडिंग आदेश दिनांक  
25.04.2017 से व्यथित होकर प्रस्तुत की जा रही है)

17-5-2017

अज्ञात

आवेदक की ओर से श्री  
राकेश दुबे अभिलेख उपायित।  
आज्ञात या सुना गया। महसूलदार  
के आदेश दिनांक 25.4.2017  
का अवलोकन किया गया।

महसूलदार द्वारा प्रकृत सूत्र आधार  
एवं प्रकृत आवेदन पत्रों पर तर्क एवं  
प्रमाण प्रियत किया गया है, जहां  
आवेदक को पक्ष समर्थन का  
अवसर उपलब्ध है। अतः यह  
सिगारानी प्रथम दृष्टया प्री-मेरिट  
प्रकृत होने से अज्ञात की जाती  
है।

अज्ञात

अज्ञात